न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 89/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/180

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
रामसिंह पुत्र गंगाराम जाति दरोगा निवासी हुड़िया तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।		1. श्रीमति किरण देवी पत्नी दामोदर, जाति महेश्वरी, निवासी 738, कटला बाजार का रास्ता, नरेना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर (राज0)। 2. श्रीमति सरजु देवी पत्नी बृजमोहन, जाति महेश्वरी, निवासी 738, कटला बाजार का रास्ता, नरेना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर (राज0)। 3. मनफूल राम पुत्र श्री हरलाल, जाति विश्नोई, निवासी रेण, तहसील डेगाना, जिला नागौर। 4. तहसीलदार, मकराना। 5. उपपंजीयक मकराना।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 232 आरटी. एक्ट
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मकराना के मुकदमा नम्बर 116/2024 बअनुवान प्रार्थी रामसिंह बनाम अप्रार्थी मनसुख वगैरह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. की पत्रावली स्थानान्तरित करने बाबत्।

उपस्थितः–
1. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री महेश पुरी वकील अप्रार्थी की ओर से।

–ःआदेशः–

दिनांक : 07.04.2025

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार हैः–

1. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 आदेश 09 नियम 4 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मकराना में प्रस्तुत कर रखा है। जिसके मुकदमा नम्बर 116/2024 बअनुवान प्रार्थी रामसिंह बनाम अप्रार्थी मनसुख सिंह वगैरह है, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.12.2024 को वास्ते बहस हेतु मुकर्रर की गई है।
2. प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना की अदालत में वाद व टी.आई. प्रस्तुत किया, मगर प्रार्थी नियत पेशी पर उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय आदेश अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 03.07.2024 को खारिज कर दी गयी। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां पुनः दिनांक 06.08.2024 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय हाजा ने ग्राम भुरिया के खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.02 12:13:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

171, 173, 173/1, 173/2, 174 पर आगामी तारीख पेशी तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश दिये। आदेशिका की प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत है।

3. वादग्रस्त भूमि पैत्रिक सम्पति की होकर संयुक्त खातेदारी की है। बगैर बंटवारा करवाये ही मोहनराम पुत्र नारायणराम ने पैतृक सम्पति का बैचाण अप्रार्थीया किरण देवी व सरजु देवी को कर दिया। जिस पर प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में वाद व टी.आई. प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। जिसका अंकन जमाबंदी में नोट लगा दिया, फिर भी अप्रार्थी मनफूलराम ने दिनांक 07.02.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से विक्रय करा लिया, जबकि उस वक्त स्थगन आदेश जारी किया हुआ था। राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 33/2014 के अनुसार स्थगन आदेश जारी किया हुआ था, जो दिनांक 03.07.2024 तक प्रभावी था, जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत है।

4. दौराने वाद किसी भी सम्पति को विक्रय किया जाना धारा 52 सम्पति अन्तरण अधिनियम के तहत निषेध है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दौराने वाद गांव व तहसील से बाहर के व्यक्ति मनफुल राम जो कि भूमाफिया है के नाम विक्रय कर दी जो प्रभावशाली व भुजबल व पैसे के बल से वादग्रस्त भूमि पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मकराना से सांठ–गांठ कर प्रभाव में लेकर राजनैतिक प्रभाव से पीठसीन अधिकारी पर विपरित प्रभाव डालकर निर्णय कराने पर आमादा है।

5. प्रार्थ जब भी पैशी पर जाता है, तब अप्रार्थी मनफुल राम पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में जाकर प्रकरण संख्या 116/2024 के निर्णय पैसे के बल से कराने पर आमादा है। जिस बात की जानकारी प्रार्थी को होने से इस वाद में पीठासीन अधिकारी, मकराना से न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को मंगवाकर किसी नेक अधिकारी से निर्णय कराने का आदेश प्रदान करावें।

6. विधि का यह सर्व मान्य सिद्धान्त है कि पैतृक सम्पति की भूमि में बिना कोई बंटवारा कराये कोई अजनबी कानूनन प्रवेश भी वर्जित है। वर्तमान समय में प्रार्थ के रहवासी मकान, ट्यूबैल मय सीमा तारबंदी से प्रार्थी का ही कब्जा है। इसलिए उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही मूलवाद नियमानुसार जवाब तनकीयात व साक्ष्य के बाद ही निर्णय किया जाना न्याय संगत है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अप्रार्थी पक्ष से स्पष्ट रूप से मिला हुआ है। पत्रावली में भी निकट निकट की तारीख देकर प्रभाव में आकर निर्णय करने पर आमादा है। इन हालातों में प्रार्थी भी अपना उक्त प्रकरण उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, मकराना से निर्णित कराने को इच्छुक नहीं है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थनान्तरित करने की आज्ञा प्रदान करावें। ताकि प्रार्थी न्याय से वंचित ना हो तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय करने बाबत् निर्देशित करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 ता 03 की तरफ से वकील श्री महेश पुरी ने वकालतनामा व जवाब पेश किया।

अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब के तथ्य निम्न प्रकार हैः–

1. प्रार्थना पत्र के फिकरा संख्या एक में वर्णित तमाम तथ्य सही है।
2. प्रार्थना पत्र के फिकरा संख्या 02 का जवाब यह है कि प्रार्थी का वाद व टी.आई. अदनांक 03.07.2024 को खारिज कर दिया था उसके बाद प्रार्थी ने मयाद बाहर रेस्टोर का प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी को बिना सूचना दिये पेश किया गया जो न्याय संगत नहीं है। तथा न ही अप्रार्थीगण को यथास्थिति [illegible] बाबत् सूना गया तथा एक तरफा आदेश मियाद बाहर प्रार्थना पत्र पर जारी किया गया।
3. प्रार्थना पत्र के फिकरा संख्या 03 का जवाब [illegible] है कि विक्रय बाबत् व नैत्रिक भूमि बाबत् भार प्रार्थी पर है जो स्वयं साबित [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:13:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

4. प्रार्थना पत्र के फिकरा संख्या 04 मनघड़न्त व काल्पनिक है मनफूल जो आम नागरिक है न तो जमीनों का सौदा करता है न ही भूमाफिया है न ही राजनैतिक है मेनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का लालन पालन करता है। प्रार्थी ने गलत तथ्य दर्ज करें है।
5. प्रार्थना पत्र के फिकरा संख्या 05 मनघड़न्त व निराधार है आप्रार्थी मनफूल पीठासीन अधिकारी का चेम्बर ही नहीं जानता है न ही कोई अधिकारी से कभी मिला है अप्रार्थी मनफूल तो अपने वकील के पास ही एक बार आया है अप्रार्थी मकराना का न्यायालय कोर्ट व चेम्बर ही नहीं जानता है पीठासीन अधिकारी से मिलना तो बड़ी बात है। प्रार्थी मामला को लम्बा करने की कोशिश में है इसलिए गलत तथ्य लिखे है।
6. प्रार्थना पत्र के फिकरा संख्या 06 गलत व निरधार होने से अस्विार है। प्रार्थी ने इस मामले को लम्बा करने की नियत से पेश किया। प्रार्थी ने तमाम तथ्य गलत लिखे है प्रार्थी एक होशियार व चालाक व्यक्ति है जो अप्रार्थी को आर्थिक रूप से मानसिक रूप से पेरशान करना चाहता है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की श्रीमान् द्वारा सही जाँच की जाकर गुणावगुन से निर्णय किया जाकर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी मनफुल राम पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में जाकर प्रकरण संख्या 116/2024 के निर्णय पैसे के बल से कराने पर आमादा है। जिस बात की जानकारी प्रार्थी को होने से इस वाद में पीठासीन अधिकारी, मकराना से न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को मंगवाकर किसी अन्य अधिकारी से निर्णय कराने का आदेश प्रदान करावें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी ने तमाम तथ्य गलत लिखे है प्रार्थी एक होशियार व चालाक व्यक्ति है जो अप्रार्थी को आर्थिक रूप से मानसिक रूप से पेरशान करना चाहता है।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते है, फिर भी न्याय हित में उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी को स्थानान्तरित किया जाता है। उभय पक्ष उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी के समक्ष दिनांक 21.04.2025 को पेश हो।

निर्णय आज दिनांक **07.04.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:13:00 IST
Reason: SelfAttested